

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-10/2017/बी-2-906/दस-2017-2/2017 पंचायती राज अनु०-३ की पत्रावली सं०-100(15)/2015 टी०सी०, दिनांक 22 मई, 2017 के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-६१ में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रु०-185250.00 लाख में से अवशेष लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिये धनराशि रु० 7718750.00 लाख की ५ प्रतिशत (ए०टी०आर० में उल्लिखित संस्तुति संख्या-५५ के अनुसार ऑडिट अनुशासन हेतु) एवं ०.१५ प्रतिशत धनराशि संस्तुति संख्या-२३ के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर ९४.८५ प्रतिशत धनराशि रु०-७३२१२.३४ लाख को घटाने के पश्चात् अथ शासनादेश सं०-१५/२०१७/बी-२-१२५९/दस-२०१७-२/२०१७ पंचायती राज अनु०-३ की पत्रावली सं०-१००(15)/२०१५ टी०सी०, दिनांक २८ अगस्त, २०१७ द्वारा अवशेष (९४.८५ प्रतिशत) धनराशि रु०-१०२४९७.२८ लाख (दस अरब चौबीस करोड़ सत्तानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) को सात बराबर किस्तों में (माह सितम्बर, २०१७ से माह मार्च, २०१८ तक) संस्तुति संख्या-५७ के अनुसार की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त के क्रम में उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ०प्र० के पत्रांक २०९६/३३-सेल/२०१७, दिनांक १४ सितम्बर, २०१७ के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सात बराबर किस्तों की फॉट के अनुसार माह फरवरी, २०१८ हेतु ग्यारहवीं किस्त की धनराशि रु०-१४६४२४६९००.०० (रुपया एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ मात्र) जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक २८ अगस्त, २०१७ में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(५) १-जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा शासनादेशके साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम संख्या-३ में जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार सात बराबर किस्तों में (माह सितम्बर, २०१७ से माह मार्च, २०१८ तक) आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। लेखा एवं बजट अनुभाग के क्रमशः आवंटन आदेश सं०-१/शा/७२/२०१७-१/११९/२०१७ दिनांक २२ सितम्बर, २०१७, १/शा/७२/१/२०१७-१/११९/२०१७ दिनांक २४ अक्टूबर २०१७, आदेश संख्या-१/शा/७२/२/२०१७-१/११९/२०१७ दिनांक १५ नवम्बर, २०१७, आदेश संख्या-१/शा/७२/३/२०१७-१/११९/२०१७ दिनांक २१ दिसम्बर, २०१७ तथा आदेश संख्या-१/शा/७२/४/२०१७-१/११९/२०१७ दिनांक १२ जनवरी, २०१८ द्वारा छठवीं किस्त की धनराशि रु०-१४६४२४६९००/-, सातवीं किस्त की धनराशि रु०-१४६४२४६९००/-, आठवीं किस्त की धनराशि रु० १४६४२४६९००/-, नवीं किस्त की धनराशि रु०-१४६४२४६९००/-तथा दसवीं किस्त की धनराशि रु० १४६४२४६९००/- कुल धनराशि रु०-७३२१२३४५००/- (रु० सात अरब बत्तीस करोड़ बारह लाख चौंतीस हजार पांच सौ मात्र) आवंटित की जा चुकी है। शासनादेशानुसार माह फरवरी २०१८ हेतु ग्यारहवीं किस्त की धनराशि रु०-१४६४२४६९००/- (रुपया एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ मात्र) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा

की जायेगी।

2-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगें।

3-आवंटित की जा रही धनराशि उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

4-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, द्वारा आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा वे इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन' के नामे डाला जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-92 पर अंकित है।

(आकाश दीप)

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:-1/शा0/72/6/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- वित्त, संसाधन (केन्द्रीय वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2017 के क्रम में।
- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्डिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-21100।
- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2017 के क्रम में।
- उपनिदेशक (पं0) / नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उ0प्र0।